

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे. नो./26/2021

दिनांक: 11 मार्च, 2021

प्रेस नोट

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) फर्जी खबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा

इंटरनेट पर प्रसारित पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति को ईवीएम हैकिंग के बारे में जिम्मेदार ठहराते हुए फर्जी खबरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है


भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/इंटरनेट पर ईवीएम हैकिंग के बारे में एक पुरानी झूठी खबर प्रसारित की जा रही है। खबरों ने 21 दिसंबर, 2017 को दुर्भावनापूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया कि भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति ने दावा किया था कि एक विशेष दल ने ईवीएम को हैक करके विधानसभा निर्वाचन में जीत हासिल की थी। वर्ष 2018 में इस मामले की जानकारी के तुरंत सामने आने के बाद, पूर्व सीईसी ने स्वयं इस गलत जानकारी का खंडन किया था।

इस फर्जी खबर का खंडन करते हुए श्री कृष्णमूर्ति ने फिर से एक बयान जारी कर कहा है

"मेरे संज्ञान में यह लाया गया है कि एक फर्जी खबर जो कुछ समय पहले एक हिंदी समाचार पत्र में छपी थी, को सक्रिय किया जा रहा है और फिर से प्रसारित किया जा रहा है जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, भारत में निर्वाचनों के संचालन में विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करता हूं। भावी निर्वाचनों में एक गलत धारणा को प्रसारित करने के लिए यह बिल्कुल गलत और शरारतपूर्ण काम है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ईवीएम सबसे विश्वसनीय है और मुझे इसकी प्रभावकारिता और विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वास्तव में हमारे राष्ट्र का गर्व है और साथ ही इसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है।"

आयोग के निदेश पर सीईओ, दिल्ली द्वारा आईपीसी की धारा 500 (मानहानि की सजा) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 (मतदान की गोपनीयता बनाए रखने), 134 (निर्वाचनों के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन) के तहत एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है और उन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में गलत धारणा बनाने के लिए फर्जी खबरें अपलोड की हैं।

श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति के वक्तव्य का स्क्रीनशॉट:



ह./-
(पवन दीवान)
अवर सचिव